

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2015-16 में योजनावार प्रावधान

	योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)
119	अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमला)	1000000
134	अनुरक्षण और मरम्मत - साधारण मरम्मत	210000000
195	अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	3000000
285	अर्थाभावग्रस्त ख्याति प्राप्त साहित्यकारों/कलाकारों को वित्तीय सहायता	1412000
573	उच्च न्यायालय (भारित)	6440100
617	उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	409620000
717	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	100*
1024	खजाना और लेखा प्रशासन	600000
1352	चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	10000000
1353	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय रायपुर	112900100
1430	जन्म मृत्यु संबंधी आकड़ों का संकलन	800000
1472	जिला खर्च	10291000
1473	जिला चिकित्सालय	10500000
1500	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	150000000
2283	निर्देशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवायें)	161150000
2450	न्याय प्रशासन	10614000
2629	पुलिस	10000000
2643	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	100000000
2716	प्रशासन अकादमी	23456000
3115	भू अर्जन हेतु मुआवजा	38300000
3282	मंत्रियों का वेतन	296000
3287	मछुआ सहकारिता एवं मत्स्य विक्रय	10000000
3307	मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	50000000
3366	मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य	100*
3370	संचालनालय उद्योग	1898000
3428	महाधिवक्ता	1490000
3490	माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	622500000
3491	माध्यमिक शालायें -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	2158000
3556	मुख्यालय स्थापना यूनिट - एक	2500000
3569	मुख्यालय स्थापना व्यय	500000
3598	मोटर गैरेज	7600000
3643	राज भवन	100*
3676	राज्य बीमा अस्पताल	100*

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जावेगा । - 1

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2015-16 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
3680	राज्य मुख्यालय	16500100
3803	लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं	10000000
3828	लघु सिंचाई योजना	100*
4006	राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	50560000
4007	विधान सभा	4000000
4090	विशेष मरम्मत	100*
4143	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	88000000
4197	शासकीय कर्मचारियों एवं अशासकीय व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम, स्टडी टूर	200000
4220	शिक्षा - चिकित्सा महाविद्यालय	400000000
4296	संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था	1200000
4311	संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	74100000
4396	सरकारी प्राथमिक शालाएं -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	1615000
4402	सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	100*
4491	सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	496375200
4492	सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	152040000
4843	अधो संरचना विकास निगम	50000000
5049	राज्य विधान मण्डल	10000000
5056	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	30000100
5171	विशेष न्यायालयों की स्थापना	1200000
5223	खिलाडियों को प्रोत्साहन	200*
5226	मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि	187820000
5371	नया रायपुर डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटी	5000100
5407	कोषालय/उपकोषालय वित्त विभाग से संबन्धित भवनों का निर्माण	7200000
5421	छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी	5000000
5429	युवक कल्याण गतिविधियाँ	100*
5448	प्रौद्योगिकी प्रौन्नति कोष की स्थापना	190000
5480	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 2७५ (१))	380793000
5489	निजी संस्थाओं के माध्यम से पशु नस्ल सुधार	2187000
5535	छत्तीसगढ़ गौ-सेवा एवं ग्रामीण विकास आयोग को अनुदान	2000000
5640	उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण	25637000
5689	चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर	1000000
5805	मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर धर्मशालाओं आदि का निर्माण	2500000
5847	जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान	16200000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जावेगा 1-2

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2015-16 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
5918	सामान्य प्रशासन विभाग	42400100
6262	राज्य निर्वाचन आयोग	13200000
6562	जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन	200000
6702	उच्च गुणवत्ता बीज उत्पादन	4789000
6717	प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय	51167000
6725	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1502830
6818	स्वान परियोजना	160000000
6967	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर	52500000
6996	चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़	10000000
7255	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	250000000
7258	नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस् एन्ड आईलपॉम	25000000
7267	एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मेनेजमेंट योजना	18533000
7270	ई - जिला परियोजना	80000000
7276	स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	20000000
7296	खेल अकादमी	100 *
7350	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम	41800000
7353	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	500000000
7367	मॉडल स्कूल योजना	57600000
7396	मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुदान	5343000
7403	कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय	100 *
7411	विकास प्राधिकरणों को अनुदान	5000000
7416	तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	3444233400
7473	सैतीसवें राष्ट्रीय खेल	100 *
7475	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	100 *
7503	आयुष संस्थाओं का उन्नयन	104416000
7506	नक्सल क्षेत्र में नवीन थाना चौकी निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण	6875000
7604	भवन सांख्यिकी सर्वेक्षण	3490000
7610	स्वच्छ भारत अभियान	1200 *
7612	एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना	70000000
7621	नेशनल लाइवस्टॉक मिशन	25000000
7626	विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएँ से स्थानीय विकास कार्यक्रम	857739000
7637	राज्य कैंसर संस्थान	100 *
7668	बर्न एवं ट्रामा केयर सेंटर	23800000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जावेगा । - 3

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2015-16 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
7672	वनबंधु कल्याण योजना	125000000
7699	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	410000000
7700	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सिपेट)	100*
7701	बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ	8959000
7702	महिलाओ के लिए हेल्प लाईन	8566000
7703	वन स्टॉप सेन्टर की स्थापना व संचालन	6200000
7704	पूर्ववर्ती परिवहन निगम भू मी / संपत्ति क्रय हेतु	1719800000
7705	एकीकृत बागवानी विकास मिशन	249939300
8040	जेल भवनों का निर्माण	23000000
8048	आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	1000000
8403	शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	1777000
8703	दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना	14995000
8775	प्रशासन योजना जिला स्तर	43392000
8895	ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान-सह-गोदाम निर्माण योजना वितरण	10760000
8898	राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना	50000000
8913	निःशुल्क लेपटॉप एवं टेबलेट का प्रदाय	250000000
8942	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)	429356000
8950	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय जगदलपुर	60400000
9064	मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान	130000000
योग		13408078130

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जावेगा । - 4